राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांकः 26 FEB 2014

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सख्या 15) की धारा 90–क की उपधारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.09.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नांकित सारणी के कॉलम 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को अन्य नगर सुधार न्यासों की भांति कृषि भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती है :–

क्र.सं.	स्थानीय निकाय का नाम	अधिकारी का पदनाम
1	2	3
1.	नगर सुधार न्यास, पाली, सीकर, बाड़मेर, चित्तौडगढ और सवाईमाधोपुर	नगर सुधार न्यास, पाली, सीकर, बाड़मेर, चित्तौडगढ और सवाईमाधोपुर के सचिव

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत इस अधिसूचना के जारी होने तक प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण सम्बन्धित नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक सुनिश्चित किया जावे।

इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् आवेदन पत्र सम्बन्धित नगर विकास न्यास द्वारा प्राप्त कर निस्तारित किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उज्ज्वल राठौड)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा० शासन विभाग)।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा० शासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर।
6. जिला कलक्टर, पाली/सीकर/बाडमेर/चित्तौडगढ/सवाईमाधोपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
8. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
11. अध्यक्ष/सचिव, नगर सुधार न्यास, पाली/सीकर/बाडमेर/चित्तौडगढ/सवाईमाधोपुर।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति मय साफ्ट कॉपी के प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक के आगामी दिनांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली।

(प्रभुसिंह राठौड)
उप विधि परामर्शी